सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2018/00227 दर्ज तिथिः–04.04.2018

1. लिखूदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी सादुलाराम
   जाति जाट निवासी गंगासरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
2. अणछीदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी देवाराम
   जाति जाट निवासी खीपर तहसील बायतु जिला बालोतरा
3. गुली देवी पुत्री भीखाराम पत्नी हरजीराम
   जाति जाट निवासी पुनियो की बस्ती, आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

..........................वादीगण

बनाम

1. गोमी पत्नी स्व0 भीखाराम फौत विलोपित विधिक वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 0 से 4 पूर्व में ही वादपत्र में रेकर्ड पर है।
2. स्व0 वाली पुत्री भीखाराम पत्नी लूंभाराम के वारिसान
   2/1 जोगाराम पुत्र लूंभाराम
   2/2 केशाराम पुत्र लूंभाराम
   2/3 पोकराराम पुत्र लूंभाराम
   2/4 खेमाराम पुत्र लूंभाराम
   2/5 ओमप्रकाश पुत्र लूंभाराम
   2/6 नरेश पुत्र लूंभाराम
   2/7 चैनाराम पुत्र लूंभाराम
3. तेजूदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी नवलाराम
   जाति जाट निवासी गंगासरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
4. स्व0 दोली पुत्री भीखाराम पत्नी दौलाराम के वारिसान
   4/1 वागाराम
   4/2 वेहनाराम
   4/3 चैनाराम
   जाति जाट निवासी सारणों का तला, आडेल
5. अ किरताराम पुत्र सोनाराम
   ब किरताराम गोद पुत्र भीखाराम
   5 ब /1 हेमाराम पुत्र मोटाराम (क्रेता) बैचानकर्ता 5 द्वारा बेचान करने से क्रेता के रूप में नवीन पक्षकार संयोजित
6. लिछमणा पुत्र सोनाराम
7. हरखाराम पुत्र सोनाराम
8. सताराम पुत्र सोनाराम
9. दुर्गाराम पुत्र सोनाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

10. लूंबाराम पुत्र सोनाराम
11. धापू पत्नी सोनाराम

पार्टी संख्या 02

12. शेम्भूराम पुत्र उगराराम (फौत के कायम मुकाम)
    12 / 1 लाछीदेवी पत्नी शेम्भूराम
    12 / 2 ओमाराम पुत्र शेम्भूराम
    12 / 3 ईशराराम पुत्र शेम्भूराम
    12 / 4 चलाराम पुत्र शेम्भूराम
    12 / 5 चूनाराम पुत्र शेम्भूराम
13. भीखाराम पुत्र प्रभू पुत्र उगराराम
14. चुतराराम पुत्र उगराराम
15. धनाराम पुत्र उगराराम
16. दलु पत्नी उगराराम
    जातियान जाट निवासी सारणों का तला आडेल तहसील नोखड़ा।

............................असल प्रतिवादीगण

17. तहसीलदार नोखड़ा

.... तकमिली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री बींजाराम गोदारा, श्री रिड़मलराम
प्रतिवादी 5, 7ः–श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 के का. मु.ः–
श्री भंवरलाल सारण
शेष प्रतिवादीः–एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–ःनिर्णयः–

दिनांक 24.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैः–
    1.1 कि वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण का पैतृक संयुक्त आराजी का खेत खसरा संख्या 282 रकबा 373–05 बीघा मौजा सारणों का तला आडेल तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
    1.2 कि वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 16 हिन्दू विधि से शासित होते है। जिसका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

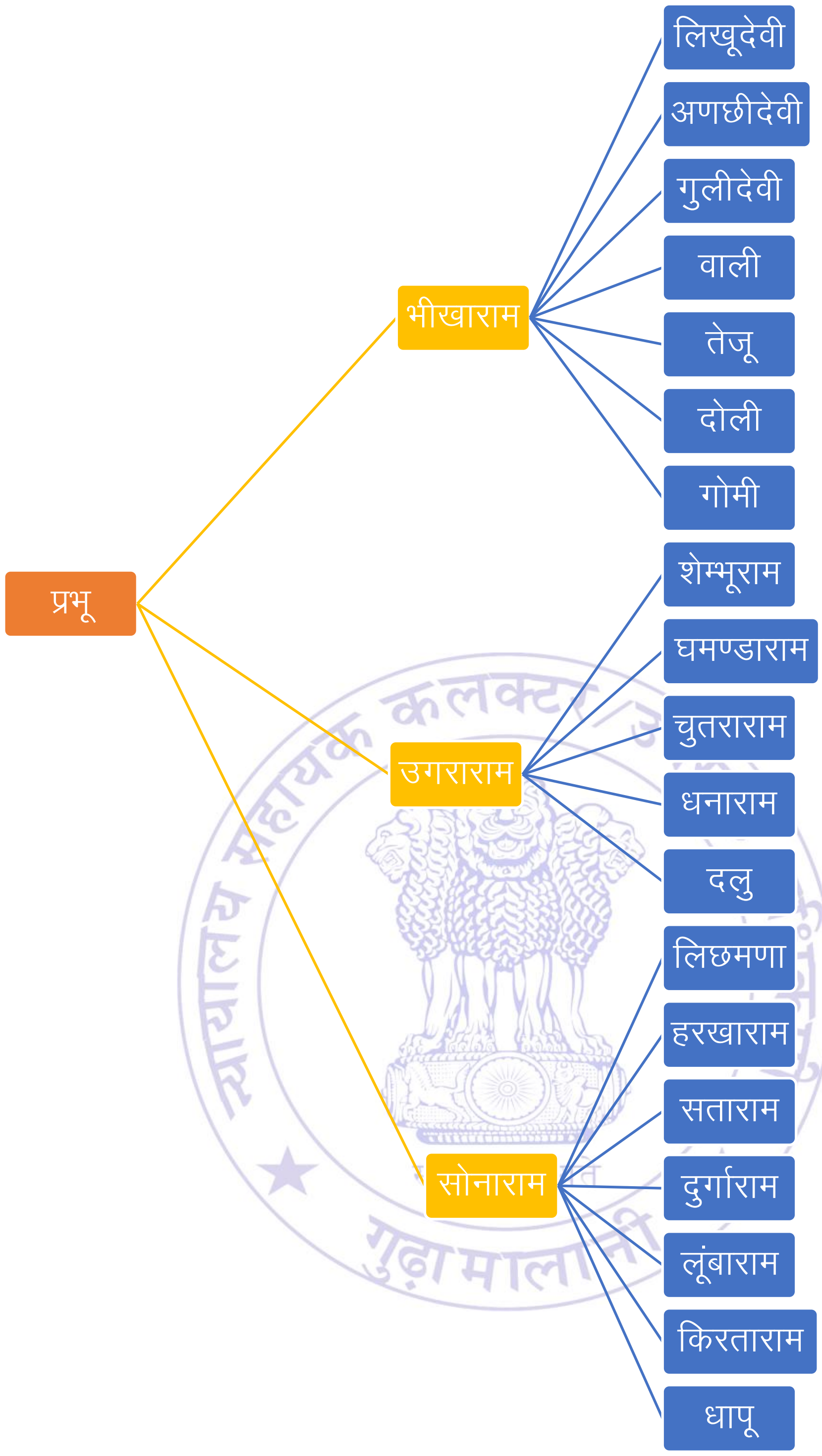

1.3 कि प्रभू के तीन पुत्रों का 1/3—1/3 हिस्सा था। वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार स्व0 भीखाराम निर्वसीयत सन् 1976 में फौत हो गया। जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीनीगण, प्रतिवादी सं. 02 से 04 एवं पत्नी प्रतिवादी संख्या 01 है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 40 एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम—2005 की धारा—06 के अनुसार भीखाराम के फौत होने पर उसके 1/3 हिस्से में वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 का प्रत्येक का 1/21—1/21 हिस्सा निहित हो गया।

1.4 कि भीखाराम के फौत के समय भीखाराम की पत्नी एवं वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की मां प्रतिवादी संख्या 01 ने राजस्व कार्मिकों को गलत सूचना देकर अपने अकेली के नाम भीखाराम की फौतगी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरण सख्या 350 मौजा आडेल पारित करवा लिया। जिसकी सूचना वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण 02 से 04 को नहीं दी गई। वादीनीगण यह समझती आई की प्रतिवादी संख्या 01 के साथ राजस्व रेकॉर्ड में छः बहिनों का नाम भी है।

1.5 वादीनीगण के कोई सगा भाई नहीं है और वादीनीगण के पिता भीखाराम ने अपने जीवनकाल में अपना वंश चलाने के लिए किसी को गोद लेने की इच्छा प्रकट नहीं की और ना ही किसी को गोद लिया। वादीनीगण की माता प्रतिवादी संख्या 01 ने भी किसी को गोद नहीं लिया। प्रतिवादी संख्या 01 की देखभाल उसकी पुत्रियां एवं दुहिते करते है।

1.6 कि प्रतिवादी संख्या 5 व किरताराम वादीनीगण के चाचा स्व0 सोनाराम का पुत्र है। जो उक्त वादग्रस्त आराजी में अपने भाईयों व माता प्रतिवादी संख्या 06 से 11 के साथ 1/3 हिस्से में दर्ज है।

1.7 कि प्रतिवादी संख्या 5 की राजस्व रिकॉर्ड में किरताराम पुत्र सोनाराम की वल्दियत किरताराम गोदपुत्र भीखाराम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 5 ने वादीनीगण की बहन स्व0 दोली के पुत्रों प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 को प्रभावित कर उन्हे वादग्रस्त आराजी में हिस्से का लालच देकर प्रतिवादी संख्या 01 से उपपंजीयक कार्यालय से बेचान दस्तावेज दिनांक 24.04.1998 व 25.04.1998 से प्रतिवादी 01 के 1/3 हिस्से में से पृथक —पृथक 1/15 किरताराम व 1/15 प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 द्वारा पंजीबद्ध करवा दिए। साथ ही उक्त बेचान दस्तावेज में प्रतिवादी संख्या 05 ने अपनी वल्दियत किरताराम गोदपुत्र भीखाराम दर्ज करवा ली।

1.8 कि प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संपादित बेचान दस्तावेज में विधिक हिस्सा 1/21 से ज्यादा का बेचान किया है। जो वादीनीगण के हितों को प्रभावित करने से निष्प्रभावी है। उक्त बेचान के आधार पर पारित नामान्तरण संख्या 19 को वादीनीगण के हितो तक बेअसर और निष्प्राभावी घोषित किया जावे।

1.9 कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 282/373—05 बीघा में से रकबा 31—12 बीघा आयल एण्ड नेचूरल गैस कॉर्पोरेशन हेतु अवाप्त होकर मूल खसरे से पृथक हो गया। जिसका नामान्तरण संख्या 80 पारित किया गया। तत्पश्चात मूल खसरा संख्या 282 में 341—13 बीघा रकबा शेष रहा।

1.10 कि प्रतिवादी संख्या 05 किरताराम के भाई प्रतिवादी संख्या 7 ने वादीनीगण की बहन प्रतिवादी संख्या 03 को प्रभावित कर प्रतिवादी संख्या 01 से 3/15 हिस्से में से 11/60 हिस्से का बेचान दस्तावेज संख्या 107/2013 द्वारा अपने पक्ष में करवा लिया। जिसकी पुश्त पर नामान्तरण संख्या 105 ग्राम सारणों का तला खोला गया।

1.11 कि प्रतिवादी संख्या 01 से करवाए गए उक्त बेचानों का वादिनीगण को ज्ञान नहीं हुआ। वादीनीगण को उक्त बेचानों का ज्ञान संवत 2074 की गिरदावरी समाप्ति पश्चात प्रतिवादी संख्या 2/4 द्वारा बताने पर हुआ। वादीनीगण ने उक्त बेचानों का प्रतिवादी संख्या 01 से पूछने पर प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 05 व 07 की सलाह पर करवाया गया।

1.12 इस प्रकार भीखाराम के कोई जायंदा पुत्र संतान नहीं है न ही किसी को गोद लिया। भीखाराम के छः पुत्रियां है। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं को भीखाराम का गोदपुत्र बताया गया है। जो गलत होने से नामान्तरण संख्या 19 व 105 निष्प्रभावी घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

01 द्वारा अपने हिस्से से अधिक किये गए समस्त बेचान को वादिनीगण के हिस्से तक निष्प्रभावी एवं शुन्य घोषित करते हुए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा—08 के अंतर्गत माता सहित सभी पुत्रियों का 1/21—1/21 हिस्सा खातेदारी का घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

1.13 कि वादीनीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में हस्तक्षेप एवं दखलअंदाजी नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा दिलाई जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5, 7 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01, 2 व 04 द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए वादीगण के अनुतोषों को स्वीकार करते हुए आराजी खसरा संख्या 341 रकबा 341—13 बीघा में भी स्व0 भीखाराम के छः पुत्रियों एवं पत्नी सहित सभी का बहिस्सा 1/21—1/21 खातेदारी घोषणा किये जाने एवं प्रकरण में प्रतिवादी स. 5 व किरताराम की वल्दियत गोदपुत्र भीखाराम हटाई जाने का निवेदन किया गया। किरताराम गोदपुत्र भीखाराम द्वारा अपने पक्ष में पारित नामान्तरण संख्या 350, 19, 105 को वादीगण के हितो तक निष्प्रभावी एवं शुन्य घोषित किये जाने का भी निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में वादी संख्या 01 व 02 ने उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र पेश कर वाद विड्रो किये जाने का निम्न प्रकार से निवेदन किया—

3.1. कि हम वादीगण ने उक्त वाद बिना सोचे समझे एवं बहकावे में आकर दायर कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 01 ने हम वादी संख्या 01 व 02 की बालिग होने पर हमारी शादी करवाई तथा शादी के समय पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा बनता था उससें हमारे जेवरात व अन्य सामान दिया गया। हम वादी संख्या 01 व 02 अपने पिता की पैतृक संपत्ति से मौखिक रूप से हमारी माता गोमीदेवी के पक्ष में मौखिक हकत्याग कर दिये है। वादग्रस्त आराजी में हमारा कोई हक हिस्सा नहीं है।

3.2. कि हमारे पिताजी के स्वर्गवास होने पर विरासत में हमारी माताजी गोमीदेवी का नाम वादी संख्या 01 व 02 की सहमति से दर्ज किया गया।

3.3. कि हमारी माता गोमीदेवी द्वारा प्रतिवादी संख्या 07 हरखाराम पुत्र सोनाराम, प्रतिवादी संख्या 03 तेजूदेवी, प्रतिवादी संख्या 05 किरताराम पुत्र सोनाराम, प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 को किये गये बेचान में हम वादी संख्या 01 व 02 की पूर्ण सहमति थी। उक्त बेचान से हमें किसी प्रकार उज्र एतराज नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध हम व हमारे वारिसान किसी प्रकार का भविष्य में उज्र एतराज नहीं करेगें। यदि किया जाता है तो उसे खारिज समझा जावे।

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 04 ग्राम सारणों का तला	प्रदर्श—01

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

खतौनी	भू–प्रबंध प्रथम खतौनी खसरा संख्या 282 ग्राम आडेल	प्रदर्श–02
नामान्तरण	नामान्तरण ग्राम सारणो का तला	प्रदर्श–03
नामानतरण	नामान्तरण संख्या 105 ग्राम सारणो का तला	प्रदर्श–04
बयनामा	पंजीबद्ध बयनामा संख्या 2013000117 दिनांक 09.01.2013	प्रदर्श–05
आधार कार्ड प्रति	लखूदेवी पत्नी सादुलाराम	प्रदर्श–06ए
आधार कार्ड प्रति	गोमीदेवी पत्नी भीखाराम	प्रदर्श–07ए
आधार कार्ड प्रति	दोलीदेवी पत्नी दोलाराम	प्रदर्श–08ए
आधार कार्ड प्रति	अणछी पत्नी देवाराम	प्रदर्श–09ए
आधार कार्ड प्रति	गुली पत्नी हरजीराम	प्रदर्श–10ए
आधार कार्ड प्रति	तेजूदेवी पत्नी नवलाराम	प्रदर्श–11ए
आधार कार्ड प्रति	किशनलाल पुत्र लुंभाराम	प्रदर्श–12ए
आधार कार्ड प्रति	पोकरराम पुत्र लुंभाराम	प्रदर्श–13ए
आधार कार्ड प्रति	खेमाराम पुत्र लुंभाराम	प्रदर्श–14ए
आधार कार्ड प्रति	ओपप्रकाश पुत्र लुंभाराम	प्रदर्श–15ए
आधार कार्ड प्रति	नारणाराम पुत्र लुंभाराम	प्रदर्श–16ए
आधार कार्ड प्रति	चेनाराम पुत्र लुंभाराम	प्रदर्श–17ए
जमाबंदी	खसरा संख्या 282 ग्राम सारणो का तला	प्रदर्श–18

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
गुलीदेवी पुत्री भीखाराम	जाट	पूनियों की बस्ती	पी0डब्ल्यू–1
हरजीराम चौधरी पुत्र धूड़ाराम	जाट	पूनियों की बस्ती, आदर्श चवा	पी0डब्ल्यू–2
जोगाराम पुत्र भारमलराम	जाट	आडेल तहसील नोखड़ा	पी0डब्ल्यू–3

6. प्रकरण में वादीगण के गवाह पी0डब्ल्यू–1 गुलीदेवी पुत्री भीखाराम, पी0डब्ल्यू–2 हरजीराम चौधरी पुत्र धूड़ाराम, पी0डब्ल्यू–3 जोगाराम पुत्र भारमलराम द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–
   6.1. कि वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण का पैतृक संयुक्त आराजी का खेत खसरा संख्या 282 रकबा 373–05 बीघा मौजा सारणों का तला आडेल तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 16 हिन्दू विधि से शासित होते है।
   6.2. कि उक्त आराजी का खातेदारी में हिस्सा अंकित वक्त बंदोबस्त नहीं था। राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा का अंकन कब हुआ इसका वादिनीगण को ज्ञान नहीं है। प्रभू के तीन पुत्रों का 1/3–1/3 हिस्सा था।
   6.3. कि वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार स्व0 भीखाराम निर्वसीयत सन् 1976 में फौत हो गया। जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीनीगण, प्रतिवादी सं. 02 से 04 एवं इसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 01 है। राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 40 एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–2005 की धारा–06 के अनुसार भीखाराम के फौत होने पर उसके 1/3 हिस्से में वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 का प्रत्येक का 1/21–1/21 हिस्सा निहित हो गया।

6.4. कि भीखाराम के फौत के समय भीखाराम की पत्नी एवं वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की मां प्रतिवादी संख्या 01 ने राजस्व कार्मिकों को गलत सूचना देकर अपने अकेली के नाम भीखाराम की फौतगी का नामान्तरण सख्या 350 मौजा आडेल पारित करवा लिया। जिसकी सूचना वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण 02 से 04 को नहीं दी गई। वादीनीगण यह समझती आई की प्रतिवादी संख्या 01 के साथ राजस्व रेकॉर्ड में छः बहिनों का नाम भी है।

6.5. वादीनीगण के कोई सगा भाई नहीं है और वादीनीगण के पिता भीखाराम ने अपने जीवनकाल में अपना वंश चलाने के लिए किसी को गोद लेने की इच्छा प्रकट नहीं की और ना ही किसी को गोद लिया। वादीनीगण की माता प्रतिवादी संख्या 01 ने भी किसी को गोद नहीं लिया। प्रतिवादी संख्या 01 की देखभाल उसकी पुत्रियां एवं दुहिते करते है।

6.6. कि प्रतिवादी संख्या 5 ब किरताराम वादीनीगण के चाचा स्व0 सोनाराम का पुत्री है। जो उक्त वादग्रस्त आराजी में अपने भाईयों व माता प्रतिवादी संख्या 06 से 11 के साथ 1/3 हिस्से में दर्ज है।

6.7. कि प्रतिवादी संख्या 5 राजस्व रिकॉर्ड में किरताराम पुत्र सोनाराम की वल्दियत किरताराम गोदपुत्र भीखाराम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 5 ने वादीनीगण की बहन स्व0 दोली के पुत्रों प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 को प्रभावित कर उन्हे वादग्रस्त आराजी में हिस्से का लालच देकर प्रतिवादी संख्या 01 से उपपंजीयक कार्यालय से बेचान दस्तावेज दिनांक 24.04.1998 व 25.04.1998 से प्रतिवादी 01 के 1/3 हिस्से में से पृथक –पृथक 1/15 किरताराम व 1/15 प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 द्वारा पंजीबद्ध करवा दिए। बेचान दस्तावेज में प्रतिवादी संख्या 05 ने अपनी वल्दियत किरताराम गोदपुत्र भीखाराम दर्ज करवा ली।

6.8. कि प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संपादित बेचान दस्तावेज में विधिक हिस्सा 1/21 से ज्यादा का बेचान किया है। जो वादीनीगण के हितों को प्रभावित करने से निष्प्रभावी है। उक्त बेचान के आधार पर पारित नामान्तरण संख्या 19 को वादीनीगण के हितो तक बेअसर और निष्प्राभावी घोषित किया जावे।

6.9. कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 282/373–05 बीघा में से रकबा 31–12 बीघा आयल एण्ड नेचूरल गैस कॉर्पोरेशन हेतु अवाप्त होकर मूल खसरे से पृथक हो गया। जिसका नामान्तरण संख्या 80 पारित किया गया। तत्पश्चात मूल खसरा संख्या 282 में 341–13 बीघा रकबा शेष रहा।

6.10. कि प्रतिवादी संख्या 05 किरताराम के भाई प्रतिवादी संख्या 7 ने वादीनीगण की बहन प्रतिवादी संख्या 03 को प्रभावित कर प्रतिवादी संख्या 01 से 3/15 हिस्से में से 11/60 हिस्से का बेचान दस्तावेज संख्या 107/2013 द्वारा अपने पक्ष में करवा लिया। जिसकी पुश्त पर नामान्तरण संख्या 105 ग्राम सारणों का तला खोला गया।

6.11. कि प्रतिवादी संख्या 01 से करवाए गए उक्त बेचानों का वादिनीगण को ज्ञान नहीं हुआ। वादीनीगण को उक्त बेचानों का ज्ञान संवत 2074 की गिरदावरी समाप्ति पश्चात प्रतिवादी संख्या 2/4 द्वारा बताने पर हुआ। वादीनीगण ने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बेचानों का प्रतिवादी संख्या 01 से पुछने पर प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 05 व 07 की सलाह पर करवाया गया।

6.12. इस प्रकार भीखाराम के कोई जायंदा पुत्र संतान नहीं है न ही किसी को गोद लिया। भीखाराम के छः पुत्रिया है। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में भीखाराम का वारिसान बताया गया है। जो गलत होने से नामान्तरण संख्या 19 व 105 निष्प्रभावी घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने हिस्से से अधिक किये गए समस्त बेचान को वादिनीगण के हिस्से तक निष्प्रभावी एवं शुन्य घोषित करते हुए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा—08 के अंतर्गत माता सहित सभी पुत्रियों का 1/21—1/21 हिस्सा खातेदारी का घोषित किये जाने तथा वादीनीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वादग्रस्त आराजी में हस्तक्षेप एवं दखलअंदाजी नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा दिलाई जाने का निवेदन किया।

6.13. इसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा—04 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

7. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 के कायम मुकाम द्वारा वादीगण द्वारा चाहे गए अनुतोष स्वीकार किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 05 व 07 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के कारण वादी साक्ष्य से जिरह एकतरफा दर्ज कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

8. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 282 रकबा 373—05 बीघा मौजा सारणों का तला आडेल तहसील नोखड़ा में वादीगण व माता प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा किए गए अंतरण को वादीगण के हिस्से की सीमा तक निष्प्रभावी व बेअसर घोषित कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02—04 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ जन्म से ही सहकृषक होने से प्रत्येक का 1/21—1/21 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावे।

9. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम अनुतोष का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष निम्न प्रकार हैः—

1. *आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02—04 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ प्रत्येक को 1/21—1/21 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी जावे।*

.... *वादीगण*

10. प्रकरण में अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है–

OF THE BURDEN OF PROOF

104. Burden of proof.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations.

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

105. On whom burden of proof lies.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

106. Burden of proof as to particular fact.—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.—The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

Illustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

11. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413/2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम–1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है–

The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-

> *"Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.*
>
> *When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."*

In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....

Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.

xxx

There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.

In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :

> *"29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A. Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."

12. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता / प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

13. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार (Burden of Proof) तथा प्रमाण का भार (Onus of Proof) में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार (Burden of Proof) प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार (Burden of Proof) स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार (Burden of Proof) उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार (Onus of Proof) पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार (Onus of Proof) होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार (Onus of Proof) पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार (Onus of Proof) का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

14. इस प्रकार उक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रकरण में निहित विवाद का आधार बिन्दु यह है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02—04 भीखाराम पुत्र प्रभू की पुत्री है अथवा नहीं। वादी के दावे का मुख्य आधार यह है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02—04, भीखाराम पुत्र प्रभू की विधिक वारिस है जबकि प्रतिवादी का मुख्य खण्डन है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02—04, भीखाराम पुत्र प्रभू की वारिस नहीं है। इस संबंध में उक्त तथ्य को साबित करने का भार वादी पर है। इस संबंध में वादी द्वारा अपने दावे के अभिवचन में उल्लेखित किया है कि भीखाराम पुत्र प्रभू की विधिक वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02—04 है। यहां उल्लेखनीय है कि कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है। अतः केवल दावे के अभिवचन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

के आधार पर ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 को भीखाराम पुत्र प्रभू की पुत्री होने के तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता है। वादी के दावे के उक्त अभिवचन का प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट व विशेष खण्डन किया है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त तथ्य के स्पष्ट व विशेष खण्डन की स्थिति में वादी द्वारा उक्त तथ्य को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जाना और आवश्यक हो जाता है।

15. अब प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इसके साथ ही प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किया है। उक्त हलफनामे में वादी ने अभिकथन किया है कि स्वर्गीय भीखाराम पुत्र प्रभू के छः पुत्री थी। वादी स्वर्गीय भीखाराम पुत्र प्रभू की जायंदा पुत्री है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 भीखाराम पुत्र प्रभू की वारिस है। इस प्रकार वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 ही भीखाराम पुत्र प्रभू की पुत्री है।

16. वादी के हलफनामा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी को प्रतिवादी के परिवार के बारे में पूर्ण जानकारी है। वादी द्वारा जोगाराम के परिवार की वंशावली का विवरण दिया है उसको प्रतिवादी ने स्वीकार किया है। अर्थात् वादी को प्रतिवादी के परिवार के बारे में पूर्ण जानकारी है। इस संबंध में भी प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में कोई सवाल नहीं किया गया है। वादी को भीखाराम पुत्र प्रभू के परिवार के बारे में इतनी जानकारी होना तथा उक्त जानकारी को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन नहीं करना अपने आप में वादीगण को भीखाराम पुत्र प्रभू के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित करता है। इस प्रकार वादीगण अपने उपर आरोपित भीखाराम पुत्र प्रभू की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रही है। इससे प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। अब प्रमाणन का भार प्रतिवादी पर है कि वह वादी के भीखाराम पुत्र प्रभू की पुत्री होने के तथ्य को नकारात्मक रूप से प्रमाणित करे।

17. इस संबंध में प्रतिवादी के गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं किया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 अगर भीखाराम पुत्र प्रभू की पुत्री नहीं है तो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 असल में किसकी पुत्री है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।

18. इस प्रकार उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वादी को भीखाराम पुत्र प्रभू के परिवार के बारे में इतनी जानकारी होना तथा उक्त जानकारी को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन नहीं करना अपने आप में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 को भीखाराम पुत्र प्रभू के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित करता है। इस प्रकार मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादी अपने उपर आरोपित भीखाराम पुत्र प्रभू की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रही है। इससे अब प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं किया है कि वादीगण व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 02—04 अगर भीखाराम पुत्र प्रभू की पुत्री नहीं है तो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02—04 असल में किसकी पुत्री है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण अपने उपर आरोपित भीखाराम पुत्र प्रभू की पुत्री होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित करने में सफल रही है। इस प्रकार वादीगण को भीखाराम पुत्र प्रभू की ही पुत्री माना जाना उचित प्रतीत होता है।

19. उक्त प्रकार से अब प्रकरण में वादी को भीखाराम पुत्र प्रभू की पुत्री माने जाने के पश्चात प्रकरण का विधिक आधारों पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। प्रकरण में उक्त अनुतोष सारतः हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> ***8. General rules of succession in the case of males.***—
> *The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:—*
> *(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;*
> *(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;*
> *(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and*
> *(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.*

20. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के अनुसार सर्वप्रथम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—1 के अनुसार दर्ज किये जाने के प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग के अन्तर्गत वारिसों के मध्य संपत्ति की विरासत के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 तथा धारा—10 के तहत प्रावधान बनाये गये है। प्रकरण में अपीलार्थी हिन्दू मृतक के वारिस अभिकथित किये जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 तथा धारा—10 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> ***9. Order of succession among heirs in the Schedule.***—
> *Among the heirs specified in the Schedule, those in class I shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs; those in the first entry in class II shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule. *—The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules: —*
Rule 1.—The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.
Rule 2.—The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.
Rule 3.—The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.
Rule 4.—The distribution of the share referred to in Rule 3—
(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters get equal portions; and the branch of his pre-deceased sons gets the same portion;
(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.

21. उक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 तथा धारा—10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के सभी वारिस एक साथ तथा एक समान भाग प्राप्त करते है। किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार अगर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिस उपलब्ध नहीं होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—02 के वारिसों में सर्वप्रथम प्रथम प्रविष्टि के वारिसों के नाम विरासत दर्ज करने के प्रावधान है। किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन के सामान्य नियम व निर्देश दिये गये है।

22. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

THE SCHEDULE (See section 8)
HEIRS IN CLASS I AND CLASS II

Class I

Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a pre-deceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son [son of a predeceased daughter

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son.

23. प्रथम श्रेणी के वारिसों को निम्न सारणी अनुसार समझा जा सकता है–

Married Male - Hindu, Budhist, Jain, Sikh (Class I Heirs)

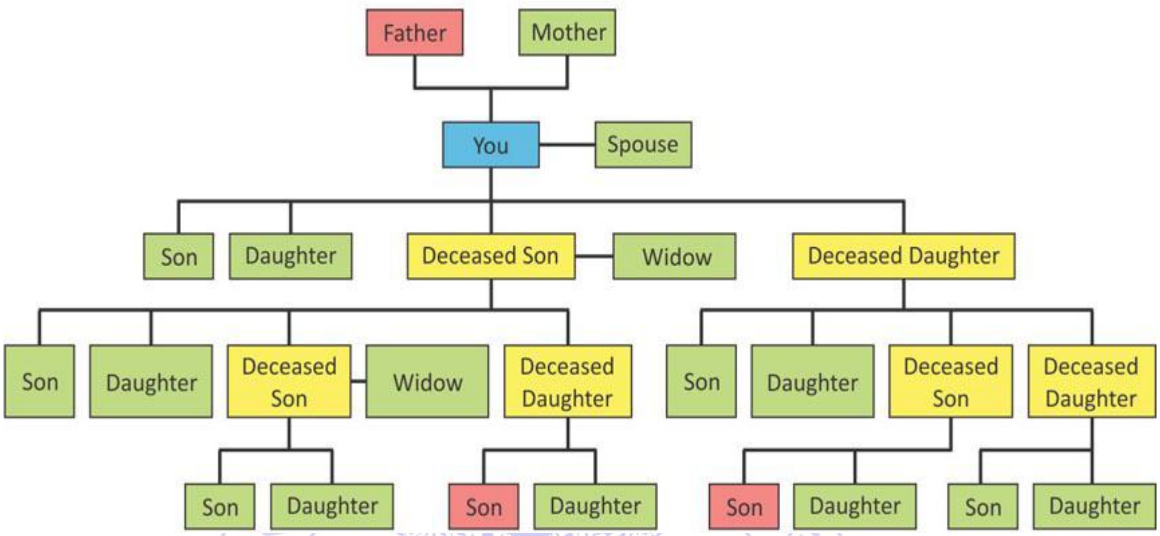

24. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों में मृतक हिन्दू पुरूष के असल पुत्र, पुत्रीयों, पत्नी तथा माता को भी एक समान भाग प्राप्त होने के प्रावधान है।

25. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि भीखाराम पुत्र प्रभू के 06 पुत्रियां वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यायगमन के आधार पर प्रभू की संपत्ति में भीखाराम पुत्र प्रभू का 1/03 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 अपने पिता भीखाराम पुत्र प्रभू की प्रतिवादी संख्या 01 के साथ प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन होने की स्थिति में की प्रथम श्रेणी की वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–04 को भीखाराम पुत्र प्रभू का उक्त संपत्ति में 1/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–04 के उपर समान रूप से न्यागत होना विधिसंगत है। अतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 के पिता भीखाराम पुत्र प्रभू की सम्पत्ति में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–04 के समान हित व अधिकार निहित हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

26. प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 अपने पिता भीखाराम पुत्र प्रभू की प्रथम श्रेणी की वारिस है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा भीखाराम पुत्र प्रभू की विरासत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 के प्रथम श्रेणी के वारिस होकर उपस्थित होने के बावजूद भी केवल प्रतिवादी संख्या 01 के नाम हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के विपरीत दर्ज की है। इस आधार पर मुतनाजा आराजी पर भीखाराम पुत्र प्रभू के 1/3 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–04 के समान अधिकार निहित है। यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के तहत किसी काश्तकार के पूर्व से ही निहित अधिकारों की घोषणा करने हेतु प्रावधान बनाए गए है। एक प्रकार से खातेदारी अधिकारों की घोषणा किसी प्रकार के अधिकारों का नवसृजन नहीं है। बल्कि संबंधित काश्तकार के प्रश्नगत आराजी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के तहत या अन्य प्रभावी कानून के तहत प्रदत्त एवं पूर्व से ही निहित अधिकारों का प्रस्फुटन/उद्घोषणा मात्र है।

27. प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मुतनाजा आराजी वादी व प्रतिवादी की सहखातेदारी आराजी है। प्रकरण के तथ्यों व गवाहों की जिरह से भी स्पष्ट है कि उक्त मुतनाजा आराजी पैतृक संपति है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–04 भीखाराम पुत्र प्रभू के विधिक वारिस है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा भीखाराम पुत्र प्रभू की विरासत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 के प्रथम श्रेणी के वारिस होकर उपस्थित होने के बावजूद भी केवल प्रतिवादी संख्या 01 के नाम हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के विपरीत दर्ज की है। इस आधार पर मुतनाजा आराजी पर भीखाराम पुत्र प्रभू के 1/3 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–04 के समान अधिकार निहित है। उक्त आधारों पर ही वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य से अपने दावे को साबित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। परंतु प्रतिवादी अपने पक्ष में किसी प्रकार का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपना प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रस्तुत करने में असफल रहे है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण अनुतोष संख्या 01 को साबित (Burden of Proof) करने में सफल रहे है। इस कारण अनुतोष संख्या 01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

28. इस संबंध में अनुतोष संख्या 02 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में अनुतोष संख्या 02 निम्न प्रकार हैः–

1. आया वादी मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निष्पादित पंजीकृत बयनामा दिनांक 24.04.1998 व 25.04.1998 तथा पंजीबद्ध बयनामा संख्या 107/2013 द्वारा किये गये अंतरण को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।

   ....*वादीगण*

29. प्रथम अनुतोष को साबित करने का भार वादी के उपर है। अनुतोष संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निष्पादित पंजीकृत बयनामा दिनांक 24.04.1998 व 25.04.1998 तथा पंजीबद्ध बयनामा संख्या 107/2013 दिनांक 11.04.2018 द्वारा किये गये

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

अंतरण को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने को लेकर है। प्रकरण में अनुतोष के विश्लेषण से पूर्व पंजीकृत दस्तावेज के शून्यकरणीय व आरंभ से शून्य होने तथा राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लेकर विधि की स्थिति को समझना आवश्यक है।

Void : Voidable

30. अब प्रकरण में हिन्दू विधि की संकल्पना / अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान के पंजीकृत दस्तावेज के शून्य व शून्यकरणीय होने की संकल्पना / अवधारणा को समझना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित असंख्य न्यायिक दृष्टांतों के द्वारा सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान के पंजीकृत दस्तावेज के शून्य व शून्यकरणीय होने संकल्पना / अवधारणा की व्याख्या की गई है। इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार निहित होने व विवादित संपति का पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अंतरण किए जाने की स्थिति में राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मध्य संशय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार कानूनन स्थिति स्पष्ट की गई हैः—

1. *पंजीकृत दस्तावेज के आरंभ से शून्य होने की स्थिति में राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पंजीकृत दस्तावेज के शून्यकरणीय होने की स्थिति में केवल सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।*
2. *अगर वादपत्र में विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने का मुख्य अनुतोष है तथा अन्य अनुतोष आनुषांगिक है उस स्थिति में केवल सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।*
3. *अगर वादपत्र में विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार की घोषणा का अनुतोष मुख्य अनुतोष है तथा विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने का आनुषांगिक अनुतोष है उस स्थिति में केवल राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।*

31. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1269—1270 / 2019 बउनवान ***Pyarelal vs Shubhendra Pilania (Minor)*** में दिनांक 29. 01.2019 को दिये गये निर्णय में पंजीकृत दस्तावेज के शून्य व शून्यकरणीय होने के आधार पर सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विवाद के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

11 Section 9 of the Code of Civil Procedure provides thus:

> *"9. Courts to try all civil suits unless barred - The Courts shall (subject to the provisions herein contained) have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred.*
> *Explanation I - A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies.

Explanation ll - For the purposes of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in Explanation I or whether or not such office is attached to a particular place." Section 9 empowers civil courts to try all suits of a civil nature unless expressly or impliedly barred by any statute.

12 Section 256 of the Tenancy Act provides thus:

"256. Bar to jurisdiction of civil courts — (i) Save as otherwise provided specifically by or under this Act, no suit or proceeding shall lie in any civil court with respect to any matter arising under this Act or the rules made thereunder, for which a remedy by way of suit, application, appeal or otherwise is provided therein.

(2) Save as aforesaid no order passed by the State Government or by any revenue court or officer in exercise of the powers conferred by this Act or the rules made thereunder, shall be liable to be questioned in any civil court." Section 256 bars the jurisdiction of civil courts, save as otherwise provided under the Tenancy Act. Civil courts are expressly barred from trying a suit or proceeding with respect to matters arising under the Tenancy Act or rules made under it for which a remedy by way of a suit, application, appeal or otherwise is provided in the Tenancy Act.

13 Section 207 of the Tenancy Act provides thus:

"207. Suits and applications cognizable by revenue court only— (1) All suits and applications of the nature specified in the Third Schedule shall be heard and determined by a revenue court.

(2) No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suit or application.

Explanation.— If the cause of action is one in respect of which relief might be granted by the revenue court, it is immaterial that the relief asked for from the civil court is greater than, or additional to, or is not identical with, that which the revenue court could have granted." Section 207 of the Tenancy Act states that no court other than a revenue court shall take cognizance of suits and applications of the nature specified in the Third Schedule. Such suits can be heard and determined by a revenue court which has exclusive jurisdiction. The explanation clarifies that if the cause of action is one in respect of which relief may be granted by the revenue court, then it is immaterial that a relief sought from the civil court is greater than, in addition to or not identical to the relief sought from the revenue court. Where a suit is of a nature specified in any of the provisions of the Third Schedule, the bar under Section 256 is attracted and the revenue courts have exclusive jurisdiction to try the suit.

14 In Bank of Baroda v Moti Bhai4, a two judge Bench of this Court dealt with the question of jurisdiction under Sections 207 and 256 of the Tenancy Act. A bank had sanctioned a demand loan facility to the respondent for

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

which the respondent executed a promissory note and a simple mortgage in favour of the bank. On his failure to repay the loan, the Bank instituted a suit in the civil court for recovery. The respondent raised a preliminary objection that the suit was essentially one for enforcing the mortgage and that the revenue court had the exclusive jurisdiction to entertain the suit by reason of the provisions contained in the Tenancy Act. The Trial court dismissed the objection. Allowing the revision filed by the respondent, the High Court held that that the mortgage deed in respect of agricultural lands formed an essential part of the cause of action. Upon an analysis of Sections 207 and 256 of the Tenancy Act, a two judge Bench of this Court set aside the judgment of the High Court with the following reasons:

> *"5. A combined reading of these two sections would show that the jurisdiction of civil courts is barred only in respect of suits and applications of the nature specified in the Third Schedule to the Act and in respect of suits or applications based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of a suit or application of the nature specified in the Third Schedule. The civil court has no jurisdiction to entertain a suit or proceeding with respect to any matter arising under the Act or the Rules made thereunder, provided that a remedy by way of a suit, application or appeal or otherwise is provided in the Act.*
> *A loan given by a Bank to an agriculturist, which is in the nature of a commercial transaction, is outside the contemplation of the Act and can, by no stretch of imagination, be said to be in respect of any matter arising under the Act… The business of the Bank, in so far as lending transactions are concerned, is not to lend moneys on mortgages but the business is to lend moneys.*
> *8. On the question of jurisdiction, one must always have regard to the substance of the matter and not to the form of the suit. If the matter is approached from that point of view, it would be clear that, primarily and basically, the suit filed by the Bank is one for recovering the amount which is due to it from the respondents on the basis of the promissory note executed by respondent 1 and the guarantee given by respondents 2 and 3." (Emphasis supplied)*
> *Section 207 read with Section 256 of the Tenancy Act bars the jurisdiction of the civil courts in respect of suits and applications of the nature specified in the Third Schedule to the Act. The question before us is whether the relief claimed by the appellant can be granted exclusively by a revenue court under the provisions of the Tenancy Act.*

15 Section 88 of the Tenancy Act provides thus:

> *"88. Suits for declaration of right:- (1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.*
> *(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.*
> *(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant. (4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person."

Sl. No. 5 of the Third Schedule provides thus:

"THE THIRD SCHEDULE Suits, Applications and Appeals under the Act (See Sections 207, 214, 215 & 217) S. Section Description of suit, application or Period of Time Proper Court/ No. of Act appeal limitation from Court Fees Officer which competent period to dispose begins to of run

"THE THIRD SCHEDULE
Suits, Applications and Appeals under the Act
(See Sections 207, 214, 215 & 217)

S.No.	Section of Act	Description of suit, application or appeal	Period of limitation	Time from which period begins to run	Proper Court Fees	Court/Officer competent to dispose of
5.	88	Suit for declaration of the plaintiffs right :- (i) as a tenant, or (ii) as a tenant of khudkasht, or (iii) as a sub-tenant, or (iv) for a share in a joint tenancy		None	One rupee	Assistant Collector

Sl. No. 5 in the Third Schedule read with Section 207 of the Tenancy Act stipulates that a suit for the declaration of a right provided in Section 88 would lie before a revenue court. In a suit where the relief sought for is the declaration of the right stipulated in Section 88, Sections 207 and 256 read with the Third Schedule bar the jurisdiction of civil courts and vest jurisdiction exclusively with a revenue court.

32. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार निहित होने व विवादित संपति का पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अंतरण किए जाने की स्थिति में राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मध्य संशय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार कानूनन स्थिति स्पष्ट की गई हैः—

1. *राजस्व न्यायालय से विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात ही विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।*

33. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से स्पष्ट है कि अगर वादपत्र में विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार की घोषणा का अनुतोष मुख्य अनुतोष है तथा विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने का आनुषांगिक अनुतोष है उस स्थिति में केवल राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। उक्त विधि की स्थिति के संबंध में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

34. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अनुतोष संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णित की गई है। उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01—04 का 1 / 21—1 / 21 हिस्सा निहित है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02—04 का हिस्सा दर्ज नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निष्पादित पंजीकृत बयनामा दिनांक 24.04.1998 व 25.04.1998 तथा पंजीबद्ध बयनामा संख्या 107 / 2013 दिनांक 11.04.2018 द्वारा किये गये अंतरण के द्वारा अधिकतर आराजी का अंतरण किया गया है। उक्त प्रतिवादी संख्या 01 के राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हिस्से के आधार पर बेचान किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से के आधार पर बेचान किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 को पंजीबद्ध बयनामा व राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सा अनुसार मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकार निहित ही नहीं रहे है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी में निहित हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 को मुतनाजा आराजी में वादीगण के उक्तानुसार घोषित हिस्से के पश्चात पुनर्निधारित अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान करने का अधिकार ही नहीं रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किया गया मुतनाजा आराजी में वादीगण के उक्तानुसार घोषित हिस्से के पश्चात पुनर्निधारित अपने हिस्से से अधिक आराजी का प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निष्पादित पंजीकृत बयनामा दिनांक 24.04.1998 व 25.04.1998 तथा पंजीबद्ध बयनामा संख्या 107 / 2013 दिनांक 11.04.2018 द्वारा किये गये अंतरण आरंभ से ही शुन्य व निष्प्रभावी प्रतीत होता है। इस प्रकार वादी अपने तथ्य को साबित (Burden of Proof) करने में सफल रहे है जबकि प्रतिवादी इसके खण्डन में असफल रहे है। इस कारण अनुतोष संख्या 02 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

35. अब प्रकरण में तृतीय अनुतोष का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में द्वितीय अनुतोष निम्न प्रकार हैंः—

3. *प्रतिवादी संख्या 05 भीखाराम पुत्र प्रभू एवं गोमी पत्नी भीखाराम का गोदपुत्र नहीं है।*

36. प्रकरण में उक्त अनुतोष गोदपुत्र होने तथा सहदायिकी संपत्ति में गोदपुत्र के अधिकारों से संबंधित है। उक्त संदर्भ में हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—16 तथा उक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

- *हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के तहत किसी व्यक्ति को गोद लेने के लिए पंजीबद्ध गोदनामा होना अपरिहार्य शर्त नहीं है।*
- *किसी व्यक्ति को दत्तक पुत्र होने के लिए आवश्यक है कि वह दत्तक पुत्र हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के द्वारा प्रावधित की गई शर्तों को पूरा करता हो और गोद लिये व दिये जाने की रस्म पूरी की गई हो। उक्त प्रकार से दत्तक व्यवस्था को हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के तहत वैध माना गया है।*
- *किसी व्यक्ति को गोद लेने की रस्म किसी अलग दिन पूरी की गई हो और पंजीबद्ध गोदनामा किसी अन्य पश्चातवर्ती दिन निष्पादित के होने की स्थिति में गोद लिये जाने का प्रभाव गोद लिये जाने की रस्म के दिन से आरंभ हो*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

जाता है। अर्थात् गोद पंजीबद्ध गोदनामा से प्रभावित नहीं होकर गोद की रस्म से प्रभावित होता है।

- *इस प्रकार पंजीबद्ध गोदनामा पूर्व में अदा की गई गोद की रस्म को एक दस्तावेजीय स्वरूप देना मात्र है।*
- *अगर किसी प्रकरण में पंजीबद्ध गोदनामा के आधार पर गोद का अभिवचन किया जाता है तो धारा—16 के तहत न्यायालय द्वारा यह अवधारणा लिए जाने के प्रावधान है कि जब तक कि उक्त गोद को अवैध घोषित नहीं किया जाता है तब तक उक्त गोद वैद्य गोद है। अर्थात् पंजीबद्ध गोदनामा धारक अधिक प्रभावी स्थिति में रहता है।*
- *अगर किसी प्रकरण में पंजीबद्ध गोदनामा के आधार पर गोद का अभिवचन किया जाता है तो धारा—16 के तहत न्यायालय द्वारा यह अवधारणा लिए जाने के प्रावधान है। अगर कोई पक्ष इस स्थिति में उक्त गोद को चुनौती देता है तो उक्त गोद को अवैद्य साबित करने का भार चुनौती करने वाले पक्ष पर होता है।*
- *अगर किसी प्रकरण में बिना पंजीबद्ध गोदनामा के आधार पर गोद का अभिवचन किया जाता है तो उक्त गोद को वैद्य साबित करने का भार दावा करने वाले पक्ष पर होता है।*

37. प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मुतनाजा आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01—04 की सहदायिकी आराजी है। प्रकरण के तथ्यों व गवाहों की जिरह से भी स्पष्ट है कि उक्त मुतनाजा आराजी पैतृक संपति है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01—04 भीखाराम पुत्र प्रभू के विधिक वारिस है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई पंजीबद्ध गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण न्यायालय के लिए किरताराम के भीखाराम के गोदपुत्र होने की उपधारणा किये जाने हेतु स्थिति उपलब्ध नहीं है। चूंकि किरताराम द्वारा कोई पंजीबद्ध गोदनामा प्रस्तुत नही किया है, इस कारण यह साबित करने का भार किरताराम पर है कि किरताराम को भीखाराम द्वारा गोदपुत्र ग्रहण किया गया था। इस संबंध में किरताराम द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किरताराम को भीखाराम व गोमीदेवी ने पुरे रीति—रिवाज व गोद ग्रहण की रस्म अदा करते हुए गोद ग्रहण किया हो। प्रकरण में किरताराम के गोद ग्रहण की रस्म के निष्पादन के तथ्य व साक्ष्य के अभाव में किरताराम को भीखाराम व गोमीदेवी का गोदपुत्र मानने का कोई आधार नहीं है। उक्त आधारों पर ही वादीगण द्वारा किरताराम को भीखाराम का गोदपुत्र नहीं होने मौखिक साक्ष्य से अपने दावे को साबित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। परंतु प्रतिवादी किरताराम स्वयं को भीखाराम का गोदपुत्र के तथ्य के पक्ष में किसी प्रकार का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपना प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रस्तुत करने में असफल रहे है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण अनुतोष संख्या 03 को साबित (Burden of Proof) करने में सफल रहे है। इस कारण अनुतोष संख्या 03 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है एवं किरताराम को भीखाराम का गोदपुत्र नहीं माना जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

38. अब प्रकरण में चतुर्थ अनुतोष पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। अनुतोष संख्या 04 प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> > *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> > *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

39. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

40. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू—भाग पर विधिक विभाजन करवाने के पश्चात कब्जे स्पष्ट है। इस प्रकार अगर वादी की खातेदारी व पृथक खाता में दर्ज कब्जेसुदा आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

निश्चित ही वादी के खातेदारी अधिकारों को क्षति उत्पन्न होगी व न्यायिक कार्यवाहियों की बहुलता उत्पन्न होना प्रबल संभावित है। परंतु बिना विभाजन संयुक्त आराजी पर सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसंगत नहीं है। क्योंकि संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक भाग पर समान स्वामित्व व कब्जा माना जाता है। इस स्थिति में बिना विभाजन करवाए किसी एक विशेष सहखातेदार का किसी एक विशेष भू–भाग पर कब्जा नहीं माना जा सकता है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी का बिना विधिक विभाजन करवाए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

41. प्रकरण में वादी संख्या 01 व 02 द्वारा अपना दावा प्रत्याहारित करते हुए निवेदन किया है कि वादी संख्या 01 व 02 का मुतनाजा आराजी में हकत्याग समझा जावे। परंतु यह उल्लेखनीय है कि सहदायिकी संपत्ति में हकत्याग करने हेतु सहदायक स्वतंत्र है। परंतु हकतर्कनामा निष्पादन करने हेतु पृथक से नियम व प्रक्रिया निर्धारित है। इस प्रकार वादी संख्या 01 व 02 नियमानुसार हकतर्कनामा निष्पादन करने हेतु स्वतंत्र है। परंतु हस्तगत दावा में वादी संख्या 01 व 02 का हकत्याग माना जाना विधिसंगत नहीं है।

42. इस प्रकार प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 प्रतिवादी संख्या 01 के साथ भीखाराम वल्द प्रभू की संपत्ति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 का भी भीखाराम वल्द प्रभू की संपति में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ कानूनन हक निहित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 तथा प्रतिवादी संख्या 01 को भीखाराम वल्द प्रभू की 1/3 हिस्से की संपत्ति में प्रत्येक को 1/7–1/7 अर्थात् कुल आराजी में 1/21–1/21 हिस्से के खातेदारी अधिकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 05 किरताराम पुत्र सोनाराम को भीखाराम व गोमीदेवी का गोदपुत्र नही माना जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निष्पादित पंजीकृत बयनामा दिनांक 24.04.1998 व 25.04.1998 तथा पंजीबद्ध बयनामा संख्या 107/2013 दिनांक 11.04.2018 द्वारा किये गये अंतरण को अपने हिस्से से अधिक आराजी की हद तक आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर इस कदर डिक्री किया जाता है कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 282 रकबा 373–05 बीघा मौजा सारणों का तला आडेल तहसील नोखड़ा पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 तथा प्रतिवादी संख्या 01 को भीखाराम वल्द प्रभू की 1/3 हिस्से की संपत्ति में प्रत्येक को 1/7–1/7 अर्थात् कुल आराजी में 1/21–1/21 हिस्से के खातेदारी अधिकार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी में अपने 1/21 हिस्से से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

अधिक आराजी के निष्पादित पंजीकृत बयनामा दिनांक 24.04.1998 व 25.04.1998 तथा पंजीबद्ध बयनामा संख्या 107/2013 दिनांक 11.04.2018 द्वारा किये गये अंतरण को अपने हिस्से से अधिक आराजी की हद तक आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02—04 को उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा अनुसार राजस्व इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 24.04.2026 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2018/00227 दर्ज तिथिः—04.04.2018

1. लिखूदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी सादुलाराम
   जाति जाट निवासी गंगासरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
2. अणछीदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी देवाराम
   जाति जाट निवासी खीपर तहसील बायतु जिला बालोतरा
3. गुली देवी पुत्री भीखाराम पत्नी हरजीराम
   जाति जाट निवासी पुनियो की बस्ती, आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

...........................वादीगण

बनाम

1. गोमी पत्नी स्व0 भीखाराम फौत विलोपित विधिक वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 0 से 4 पूर्व में ही वादपत्र में रेकर्ड पर है।
2. स्व0 वाली पुत्री भीखाराम पत्नी लूंभाराम के वारिसान
   2/1 जोगाराम पुत्र लूंभाराम
   2/2 केशाराम पुत्र लूंभाराम
   2/3 पोकराराम पुत्र लूंभाराम
   2/4 खेमाराम पुत्र लूंभाराम
   2/5 ओमप्रकाश पुत्र लूंभाराम
   2/6 नरेश पुत्र लूंभाराम
   2/7 चैनाराम पुत्र लूंभाराम
3. तेजूदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी नवलाराम
   जाति जाट निवासी गंगासरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
4. स्व0 दोली पुत्री भीखाराम पत्नी दौलाराम के वारिसान
   4/1 वागाराम
   4/2 वेहनाराम
   4/3 चैनाराम
   जाति जाट निवासी सारणों का तला, आडेल
5. अ किरताराम पुत्र सोनाराम
   ब किरताराम गोद पुत्र भीखाराम
   5 ब /1 हेमाराम पुत्र मोटाराम (क्रेता) बैचानकर्ता 5 द्वारा बेचान करने से क्रेता के रूप में नवीन पक्षकार संयोजित
6. लिछमणा पुत्र सोनाराम
7. हरखाराम पुत्र सोनाराम
8. सताराम पुत्र सोनाराम
9. दुर्गाराम पुत्र सोनाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

10. लूंबाराम पुत्र सोनाराम
11. धापू पत्नी सोनाराम

पार्टी संख्या 02

12. शेम्भूराम पुत्र उगराराम (फौत के कायम मुकाम)
    12/1 लाछीदेवी पत्नी शेम्भूराम
    12/2 ओमाराम पुत्र शेम्भूराम
    12/3 ईशराराम पुत्र शेम्भूराम
    12/4 चलाराम पुत्र शेम्भूराम
    12/5 चूनाराम पुत्र शेम्भूराम
13. भीखाराम पुत्र प्रभू पुत्र उगराराम
14. चुतराराम पुत्र उगराराम
15. धनाराम पुत्र उगराराम
16. दलु पत्नी उगराराम
    जातियान जाट निवासी सारणों का तला आडेल तहसील नोखड़ा।

...........................असल प्रतिवादीगण

17. तहसीलदार नोखड़ा

.... तकमिली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री बींजाराम गोदारा, श्री रिड़मलराम
प्रतिवादी 5, 7ः—श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 के का. मु.ः—
श्री भंवरलाल सारण
शेष प्रतिवादीः—एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर इस कदर डिक्री किया जाता है कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 282 रकबा 373—05 बीघा मौजा सारणों का तला आडेल तहसील नोखड़ा पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02—04 तथा प्रतिवादी संख्या 01 को भीखाराम वल्द प्रभू की 1/3 हिस्से की संपत्ति में प्रत्येक को 1/7—1/7 अर्थात् कुल आराजी में 1/21—1/21 हिस्से के खातेदारी अधिकार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी में अपने 1/21 हिस्से से अधिक आराजी के निष्पादित पंजीकृत बयनामा दिनांक 24.04.1998 व 25.04.1998 तथा पंजीबद्ध बयनामा संख्या 107/2013 दिनांक 11.04. 2018 द्वारा किये गये अंतरण को अपने हिस्से से अधिक आराजी की हद तक आरंभ से शून्य, अवैध व

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02–04 को उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा अनुसार राजस्व इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार नौखड़ा को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested